

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 530]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 नवम्बर 2014—कार्तिक 30, शक 1936

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधन

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2014

क्र. एफ 12-32-2013-पच्चीस-4.—हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत जारी अधिसूचना क्रमांक 400, दिनांक 2 सितम्बर, 2014 में पर्याप्त संख्या में सामुदायिक स्वच्छ शौचालयों के निर्माण हेतु अधिसूचित समयसीमा '06-12-2015' के स्थान पर दि. '06-12-2016' पढ़ा जाये.

AMENDMENT

NO. F 12-32-2013-XXV-4.—The timeframe for constructing adequate number of community sanitary latrines notified in the Gazette Notification No. 400 dated 2nd September, 2014 issued under The Prohibition of the Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act, 2013 should read '06-12-2016' instead of '06-12-2015'.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक शाह, प्रमुख सचिव.